गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रांक संख्याः 561 / मा0प्लान /जोन–6/17–18 दिनांक 17.11.17

सेवा में,

मै0 वी0पी0 एण्ड एसोसिएट्स प्रा0 लि0
द्वारा डायरेक्टर श्री मुकेश कुमार
निवासी–59, आर्शीवाद अपार्ट0 आई0पी0एक्स0,
प्लाट नं0–874, इस्ट दिल्ली।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 04.09..2017 के संदर्भ आपके द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड संख्या–3/50/1 शक्तिखण्ड–III, इन्दिरापुरम गाजियाबाद (1065.74वर्गमी0) पर व्यवसायिक (कन्वीनियेन्ट शॉपिंग स्टोर) निर्माण हेतु प्रस्तावित मानचित्र सं0–293/कॉम/जोन–6/17–18 दिनांक 04.09.2017 की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.09.17 को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पॉच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी. डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नही होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में किसी कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नही होगी उसे शासन अथवा किस स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नही है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुले।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर को निर्माण कार्य नही किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नही रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वंय करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्ही की होगी।
10. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(3) के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नही बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
13. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 04.09.2017 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 11 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा भवन उपविधि के प्राविधानों के अधीन प्रश्नगत स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण होने के उपरान्त ही अध्यासन/पूर्णता प्रमाण–पत्र नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया जायेगा। बिना आज्ञा व प्रमाण–पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. नवनिर्मित होने वाले भवन में रूफटोप हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

17. नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
18. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, सर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
19. भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-15(3) के अर्न्तगत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू-स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नही है।
20. अन्य विभागों से प्राप्त अनापत्ति-पत्र में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
21. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
22. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जाय एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
23. भवन उपविधि के प्राविधानों के अधीन प्रश्नगत स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढीकरण होने के उपरान्त ही अध्यासन/पूर्णता प्रणाम पत्र नियमानुसार प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया जायेगा।
24. जल दोहन के सम्बन्ध में सेन्ट्रल ग्राउण्ड अर्थोरिटी की अन्पत्ति निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
25. बेसमेण्ट होने की दशा में बेसमेण्ट की खुदाई से पूर्व खनन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
26. अग्नि शमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या-514/2017/731 दिनांक 27.10.2017 में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
27. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना सुनिश्चित होगा।
28. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या 21/2014/ में अलग अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1760/पी0एस0एम0एस0/2016 दिनांक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ-5-206-29रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशो के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु ग्रुप हाउसिंग तथा विकासकर्त्ताओं के मानचित्र निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत/शमनित किए जाएं।

i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.

ii. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.

iii. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.

iv. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.

v. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.

vi. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.

vii. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.

viii. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.

ix. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.

x. Wind breaking walls around constructin site.

xi. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.

xii. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.

xiii. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.

xiv. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.

xv. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.

xvi. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.

xvii. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

xviii. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.

xix. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.

xx. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.

xxi. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).

xxii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2016 में उल्लेखित धनराशि पेनाल्टी के रूप में वसूल की जायेगी।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पृष्ठांकन .... /मा0प्लान/जोन–6/17–18

दिनांक ....

1. प्रवर्तन खण्ड, जोन–6 को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
मास्टर प्लान की चालान

आवेदक की प्रति

ाइल / संदर्भ संख्या : **293-Z6-Com- 2017**

ा०नं० :

ालान संख्या : **GDAPM66624**

OBC , Lohia Nagar 05262191010625 IFSC Code-ORBC100526	
PNB , A. dkar Marg 3703001100001950 IFSC Code-PUNB0370300	
PNB , Mohan Nagar 0341001100000356 IFSC Code-PUNB0034100	
Vijaya Bank , Navyug Market 711301011003105 IFSC Code-VIJ0007113	

िनांक **07-11-2017** भूखण्ड संख्या **SK-III-050/01**

ाबंटी का नाम व पता **VEE PEE ASSOCIATES P LTD , 253 NEW FRIEND COLONY**

ोजना का नाम **Indira Puram**

विवरण	धनराशी
nterest	12150.00
Total	12150

VIJAYA BANK GHAZIABAD 07 NOV 2017 Ph.No.-0120-2791419 SUBJECT TO REALISATION

नराशी (शब्दों मे) **Twelve Thousand One Hundred and ifty Only**

ैंक ड्राफ्ट संख्या ~~0078~~ 009789

िनांक 02/11/17

िर्गत बैंक IDBI bank

जमाकर्ता के हस्ताक्षर   रोकडिया   प्रबन्धक

Deposit alone will not accure any right to allottee/depositor/applicant

करे एवम मेक योर पेमेंट विकल्प को चुनें।
Make Your Payment option.

Print All

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 595 /मा.प्लान/जोन–6/17 दिनाँक : 21.9.17

सेवा में,

मै. वी.पी. एण्ड एसोसिएट्स प्रा.लि.
द्वारा डायरेक्टर श्री मुकेश कुमार
59, आर्शीवाद अपार्ट. आई.पी. एक्स.,
प्लाट नं.–874, ईस्ट दिल्ली।

विषयः–भूखण्ड/भवन सं.–3/50/1, शक्तिखण्ड–III, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद पर स्वीकृत व्यवसायिक (कन्वीनिएन्ट शॉपिंग स्टोर) मानचित्र सं.–293/कॉम/जोन–6/17 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भूखण्ड से सम्बन्धित आप द्वारा प्रस्तुत व्यवसायिक (कन्वीनिएन्ट शॉपिंग स्टोर) मानचित्र पर सचिव/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनाँक 20.09.17 को निम्न प्रतिबन्ध/शर्तों के साथ मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

<u>प्रतिबन्ध/शर्तें</u> :–

1. आपको निरीक्षण शुल्क रू. 30,020.00, मलवा शुल्क/अम्बार शुल्क रू. 80,627.00 एवं अनुरक्षण शुल्क रू. 3,75,524.00 अर्थात् कुल रू. 4,86,171.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराने होंगे।
2. कार्यालय आदेश सं.–342/नियो.अनु./12 दिनाँक 11.06.12 के क्रम में भवन की कुल निर्माण लागत रू. 2,53,06,812.00 का 1 प्रतिशत धनराशि रू. 2,53,069.00 लेबर सेस की मद में यू.पी. बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स. वेलफेयर बोर्ड के पक्ष में जमा कराकर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
3. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु रू. 2,00,000.00 की एफ.डी.आर. प्रस्तुत करनी होगी।
4. आपको शपथ–पत्र तथा विक्रय विलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
5. मानचित्र निर्गत से पूर्व स्ट्रचरल सेफ्टी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
7. स्वीकृत मानचित्र की सीमा से अधिक निर्माण अनुमन्य नहीं होगा एवं शमन उपविधि के प्राविधानों के अधीन शमन नहीं किया जायेगा।
8. उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
9. प्राधिकरण द्वारा यदि भविष्य में बढे विकास व्यय/अन्य शुल्कों की माँग की जाती है तो उसकी देयता पक्ष को स्वीकार होगी।
10. भू–स्वामित्व सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में मानचित्र पर दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
11. बेसमेन्ट की खुदाई से पूर्व खनन विभाग की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
12. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
13. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जाय एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
14. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या 21/2014/ में अलग अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1760/पी0एस0एम0एस0/2016 दिनांक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ–5–206–29रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशो के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा –

1. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
2. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
3. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
4. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
5. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
6. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
7. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
8. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
9. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
10. Wind breaking walls around construction site.
11. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
12. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by dist[illegible] offices.
13. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
14. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
15. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
16. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
17. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
18. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
19. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
20. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
21. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
22. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में एन॰जी॰टी॰ द्वारा पारित आदेश दिनाँक 20.07.16 में उल्लेखित धनराशि पेनल्टी के रूप में वसूल की जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्ध/शर्तों का पालन करना होगा एवं देय शुल्क पत्र जारी की तिथि से एक माह के अन्दर प्राधिकरण में प्रस्तुत करने के पश्चात् ही मानचित्र सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव होगी, अन्यथा स्वीकृति की तिथि से नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

सहायक नगर नियोजक
मास्टर प्लान

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

पत्र सं.............................. दिनाँक..............................

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
सैक्टर–1, वैशाली,
गाजियाबाद।

विषय :–भूखण्ड सं॰–50/1 शक्तिखण्ड–III, इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर प्रस्तुत व्यवसायिक (कन्वीनिएन्ट शॉपिंग स्टोर) मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया भूखण्ड सं॰–50/1, शक्तिखण्ड–III, इन्दिरापुरम पर मै॰ वी॰पी॰ एण्ड एसोसिएट्स प्रा॰लि॰ द्वारा डायरेक्टर श्री मुकेश कुमार द्वारा व्यवसायिक (कन्वीनिएन्ट शॉपिंग स्टोर) का मानचित्र स्वीकृतार्थ जमा किया गया है। अग्निशमन विभाग की अनापत्ति/आपत्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :

1. मानचित्र की 3 प्रतियाँ

सहायक नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पृष्ठांकन सं...596/भा॰ला॰/गो॰त॰/17 दिनाँक...21.9.17...
प्रतिलिपि :–

1. मै॰ वी॰पी॰ एण्ड एसोसिएट्स प्रा॰लि॰ द्वारा डायरेक्टर श्री मुकेश कुमार, 59, आर्शीवाद अपार्टमेन्ट आई॰पी॰ एक्स॰, प्लाट नं॰–874, ईस्ट दिल्ली, को इस आशय से प्रेषित कि अग्निशमन विभाग से सम्पर्क कर अनापत्ति पत्र जारी करवाने का कष्ट करें।

Vijay Goel 21/9/17
सहायक नगर नियोजक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

मास्टर प्लान की चालान

आवेदक की प्रति

फ़ाइल / संदर्भ संख्या : 293-Z6-Com- 2017

मो०नं० : 8750068718

चालान संख्या · GDAPM93143

OBC , Lohia Nagar 05262191010625 IFSC Code-ORBC100526	
PNB , Ambedkar Marg 3703001100001950 IFSC Code-PUNB0370300	
[illegible] Mohan Nagar 0341001100000356 IFSC Code-PUNB0034100	
Vijaya Bank , Navyug Market 711301011003105 IFSC Code-VIJ0007113	

VIJAYA BANK

दिनांक 04-09-2017 [illegible] SK-[illegible]50/01

SEP 2017

आबंटी का नाम व पता VEE PEE ASSOCIATES P LTD , A 253 NEW FRIEND COLONY

योजना का नाम Indira Puram

विवरण	धनराशी
Plan Fee	61188.00

Total : **61188**

धनराशी (शब्दों मे) **Sixty One Thousand One Hundred and Eighty Eight Only**

नकद ड्राफ्ट संख्या 009680

दिनांक 04/09/17

निर्गत बैंक IDIB Bank

जमाकर्ता के हस्ताक्षर रोकडिया प्रबन्धक

Deposit alone will not accure any right to allottee/depositor/applicant

[illegible]ट विकल्प को चुनें।

[illegible] option.

Print All